

## Vision

The Vision of the collese is the enhancement of quality eoucation to cater the need of stubent accorbing to the semand of time and also to build-up responsible citizens who can honour human and cultural values. Vision of the college is to follow toe objective siven below in order to achieve its soals.

1. to provide esucation is a environment of freedom of thought and expression.
2. To facilitate not merely trabitional but innovative learning also to fulfill the requirement of stuoent.
3. To bevelop creative environment by organizing literary, cultural, sports, NCC, NSS and other activities.
4. To enhance critical and analytical learnins with in the frame work of bemocrative Discipline.
5. To make stubent aware about senber equality about human rishts and environment protection.
6. To develop a strons sense of pride of nation with the honor of national and institutional heritage.

## आवश्यक सूचनायें

## विशेष - प्रवेश हेतु एवं परीक्षा फार्म के आवेदन हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है।

(1) महाविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति लागू है ।
(2) आवेदक एवं उनके अभिभावकों से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।
(3) विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानी पूर्वक संभालकर रखें।
(4) प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूचियॉ एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियॉ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंकसूचियॉ तथा प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जावेगा।
(5) महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी समस्त नियम एवं सूचनाएं समय-समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।
(6) आवेदन की समस्त पूर्तियां की जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
(7) परीक्षा परिणाम अघोषित होने की रिथति में भी प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
(8) निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा ।
(9) जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर / गलत जानकारी देने पर जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों / प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
(10) प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना कक्षा में लगातार 15 दिवस तक अनुपर्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
(11) प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को अवधान (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा। तकनीकी पाठ्यक्रम / व्यवसाय पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाने पर विद्यार्थी को मात्र रूपये 100 रुपये प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई सम्पूर्ण शुल्क की राशि वापिस की जायेगी प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित होने पर रुपये $100 /$-प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापिस कर दी जायेगी ।
(12) महाविद्यालय में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड (जुर्माना) के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जायेगी और मोबाइल फोन जप्त कर लिया जायेगा।
(13) कक्षाओं में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
(14) महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। विद्यार्थी को स्वयं एवं विद्यार्थी के अभिभावक को अपने पाल्य के रैगिंग की गतिविधियों में शामिल नहीं होने का वचन पत्र देना अनिवार्य होगा ।
(15) रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदण्ड और सार्वजनिक क्षमा याचना का भी प्रावधान रहेगा।

## vü̈ef.ldk

| $\varnothing$ - | fooj.k | i "B Ø- |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | आवश्यक सूचनाएँ | 2 |
| 2. | महाविद्यालय का परिचय | 3 |
| 3. | अकादमिक एवं सांस्कृतिक कैलेण्डर | 3-4 |
| 4. | स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर पद्धति का परिचय | 4 |
| 5. | वार्षिक एवं से मेस्टर पद्धति से संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, शोध सुविधाएँ | 5-6 |
| 6. | प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत | 7-14 |
| 7. | ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समय सारिणी | 15-18 |
| 8. | विभिन्न छात्रवृतियाँ/योजनाएँ / संरचनात्मक सुविधाएं एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियां | 18-21 |
| 9. | विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभारी, सूचना का अधिकार एवं सिटीजन चार्टर | 21-22 |
| 10. | शुल्क विवरण | 23-25 |
| 11. | जनभागीदारी समिति एवं राजपत्रित अधिकारियों की सूची | 26-28 |
| 12. | महाविद्यालयीन स्टॉफ सूची | 28 |

## महाविद्यालय का परिचय

विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने तथा छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास का लक्ष्य पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी तब से निरंतर प्रगति के सोपानों को पार करता हुआ आज यह महाविद्यालय छात्राओं को कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा गृह विज्ञान संकायों की शिक्षा सुविधा प्रदान कर रहा है। लगभग 3000 छात्राएं इस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास हेतु एनसीसी, एनएसएस, कैरियर मार्गदर्शन अनेक छात्रवृत्तियों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ ले रही है। सोलह विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के साथ अत्याधुनिक विषय जैसे कम्प्यूटर एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों की अध्ययन सुविधा इस महाविद्यालय में है। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों तथा क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के द्वारा छात्राओं की प्रतिभा का विकास एवं परिष्कार किया जाता है। छात्राओं की सुविधा हेतु परिसर में क्रीड़ा प्रांगण, कैंटीन, प्रतिभामंच, पुस्तकालय एवं वाचनालय, छात्रा कॉमनरूम, वाटिकाएं एवं हरा भरा विस्तृत परिसर, भूतपूर्व छात्रा-संगठन आदि उपलब्ध है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) बैंगलोर द्वारा सन् 2017 में मूल्यांकन एवं प्रत्यायन उपरान्त इस महाविद्यालय को 7 पाइन्ट स्केल में " $\mathrm{B}^{+}$"(New) ग्रेड प्रदान किया गया है ।

| अकादमिक कार्य | स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय | स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ |
| :---: | :---: | :---: |
| आरम्मिक कक्षायें | 01 जुलाई 2019 | 23 दिसम्बर 2019 |
| शैक्षणिक कार्य | 01 जुलाई से 04 नवम्बर 2019 | 23 दिसम्बर 2019 से 11 अप्रैल 2020 |
| सी.सी.ई. कार्य | सितम्बर तृतीय सप्ताह | मार्च द्वितीय सप्ताह |
| प्रायोगिक परीक्षाएं | 22 अक्टूबर से 09 नवम्बर 2019 के मध्य | 01 अप्रेल से 11 अप्रेल 2020 के मध्य |
| परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश | 11 नवम्बर 2019 से 19 नवम्बर 2019 | 12 अप्रेल 2020 से 19 मई 2020 |
| सेमेस्टर एवं एटीकेटी परीक्षा | 20 नवम्बर 2019 से 14 दिसम्बर 2019 | 20 अप्रैल 2020 से 16 मई 2020 |
| सेमेस्टर अंतराल (ड्रेक) विद्यार्थियों के लिये | 15 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 2019 | 18 मई से 30 जून 2020 |
| परीक्षा परिणामों की घोषणा | 31 दिसम्बर 2019 तक | 15 जून 2020 तक |
|  |  |  |

टीप :-
(1) अपरिहार्य कारणवश शेक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/वि.वि स्तर पर शेक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शेक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समायानुसार सुनिश्चित किया जा सके।
(2) स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जावे।

स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय-कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20

| क्रमांक | माह | दिवस | अवकाश | दिवस |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | जुलाई 2019 | 31 | 4 रविवार | 27 |
| 2 | अगस्त 2019 | 31 | 4 रविवार +3 अवकाश |  |
| 3 | सितम्बर 2019 | 30 | 5 रविवार +1 अवकाश |  |
| 4 | अक्टूबर 2019 | 31 | 4 रविवार +2 अवकाश | 24 |
| 5 | नवम्बर 2019 | 30 | 4 रविवार +1 अवकाश | 24 |
| 6 | दिसम्बर 2019 | 31 | 5 रविवार +1 अवकाश | 25 |
|  | कुल दिवस | 184 | $184-34$ | 25 |

रनातकोत्रर सेमेस्टर पद्धति प्रथम/तृतीय हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20

| क्रमांक | विवरण | कार्य दिवस |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 1 जुलाई 2019 से 14 दिसम्बर 2019 तक कुल कार्य दिवस | 133 |
| 2 | अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस <br> 1. स्थानीय अवकाश - <br> 03 <br> 2. दीपावली अवकाश - <br> $04+01$ रविवार $=$ कुल 5 दिवस <br> 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां - 10 <br> 4. परीक्षा - 25 | 42 |
| 3 | कुल शैक्षणिक दिवस (1-2)(132-42) | 91 |

स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ - कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20

| क्रमांक | माह | दिवस | अवकाश | दिवस |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | जनवरी 2020 | 31 | 4 रविवार +1 अवकाश | 26 |
| 2 | फरवरी 2020 | 29 | 4 रविवार +2 अवकाश | 23 |
| 3 | मार्च 2020 | 31 | 5 रविार +2 अवकाश | 24 |
| 4 | अप्रल 2020 | 30 | 4 रविवार +3 अवकाश | 23 |
| 5 | मई 2020 | 31 | 5 रविवार +0 अवकाश | 26 |
| 6 | जून 2020 | 30 | 4 रविवार +1 अवकाश | 25 |
|  | कुल दिवस | 182 | $182-35$ | 147 |

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय/चतुर्थ हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20

| क्रमाक | विवरण | कार्य दिवस |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 23 दिसम्बर 2019 से 16 मई 2020 तक कुल कार्य दिवस | 119 |
| 2 | अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस <br> 1. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां - 04 <br> 2. परीक्षा - | 29 |
| 3 | कुल शैक्षणिक दिवस (1-2)(119-29) | 90 |

## सेमेस्टर पद्धति (परिचय)

शासन द्वारा सत्र 2008-09 से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षा मे सेमेस्टर पद्धति (Semeter system) पर सतत् जारी है। इन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी दो प्रश्नपत्रों (स्नातकोत्तर) में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Term) प्राप्त होती है। उन्हें ए.टी.के.टी. प्राप्त विषय/प्रश्नपत्र हेतु परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क के साथ अलग से जमा करना होगा। इस पद्धति में, विद्यार्थी को सतत मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रोजेक्ट वर्क जॉब इंटर्नशिप के लिये अंकों का निर्धारण किया गया है। परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों में उपरोक्त के लिये निर्धारित अंकों को जोड़ा जावेगा। वर्ष 2019-20 से स्नातक प्रथम वर्ष में वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत प्रवेश दिये जावेंगे।

महाविद्यालय में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान (सीट्स)
Under - Graduate

| S. No. | Course Name | Branch Name | Branch Code | Seats |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | M.A. | Dance | C003 | 40 |
| 2. | M.A. | Drawing \& Painting | C004 | 40 |
| 3. | M.A. | Economics | C005 | 40 |
| 4. | M.A. | English | C006 | 60 |
| 5. | M.A. | Geography | C007 | 40 |
| 6. | M.A. | Hindi | C008 | 60 |
| 7. | M.A. | Music Instrument | C015 | 40 |
| 8. | M.A. | Political Science | C018 | 40 |
| 9. | M.A. | Psychology | C020 | 40 |
| 10. | M.A. | Sociology | C026 | 40 |
| 11. | B.A. | Arts | C028 | 600 |
| 12. | M. Com. | Commerce | C0331 | 200 |
| 13. | B. Com. | Commerce | C032 | 600 |
| 14. | B. H. Sc. | Home Science | C037 | 50 |
| 15. | M. Sc. | Biotechnology | C042 | 40 |
| 16. | M. Sc. | Microbiology | C051 | 40 |
| 17. | B. Sc. | Biotechnology-Botany-Chemistry | C062 | 60 |
| 18. | B. Sc. | Botany - Chemistry-Zoology | C085 | 250 |
| 19. | B. Sc. | Chemistry - Mathematics-Physics | C116 | 250 |
| 20. | B. Sc. | Chemistry - Microbiology - Zoology | C118 | 60 |
| 21. | B. Sc. | Computer Science - Mathematics - Physics | C137 | 150 |
| 22. | B. Com. | Computer with ComputerApplication | C198 | 150 |
| 23. | M.H. Sc. | Extension and Communication | C204 | 40 |
| 24. | M.H.Sc. | Food and Nutrition | C205 | 40 |
| 25. | B. Lib. | B. Lib. | C249 | 40 |

Note -Rs. 100/-Extra for per Practical Subject in case of B.A. Classes.

## स्व विन्तीय पाठ्यक्रम

1. बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस)
2. बी.एससी. (माइक्रो बॉयलोजी)
3. एम.एससी. (माइक्रो बॉयलॉजी)
4. एम.एच.एससी. (फूड एण्ड न्यूट्रिशियन)
5. एम.कॉम.
6. एम.ए. (ृृत्य)
7. एम.ए. (ड्राईंग एण्ड पेन्टिग)
8. बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)
9. बी.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी)
10. एम.एससी. (बॉयोटेक्नोलॉजी)
11. एम.एच.एससी. (एक्सटेंशन एवं कम्यूनिकेशन)
12. एम.ए. (अंग्रेजी)
13. एम.ए. (वादन)

## 000 ○○○○○○○○○○○○○ <br> विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार

## पुस्तकालय और सूचना विज्ञान (Library and Information Science)

महाविद्यालय में बी.लिब., आई.एस.-सी. व्यावसायिक पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध है। यह एक वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक उपाधि के पश्चात दिया जाता है। स्नातक कक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक होना न्यूनतम अर्हता है। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा जिसमें भी अधिक अंक प्राप्त होंगे उसे प्रवेश हेतु गुणानुक्रम निर्धारण का आधार माना जाएगा। पाठयक्रम संबंधी जानकारी विभागाध्यक्ष (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) से प्राप्त की जा सकती है।

## शोध सुविधाएँ

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा इस महाविद्यालय को राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र है। पी.एच-डी. हेतु शोध केन्द्र की मान्यता प्राप्त है। तथा वाणिज्य संकाय में भी शोधकेन्द्र प्रस्तावित है।

## शोध हेतु प्रवेश नियम :

(1) पी.एच-डी. की उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थियों को महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
(2) शोधार्थियों का, महाविद्यालय में पदस्थ शिक्षक के मार्गदर्शन में पंजीयन होना आवश्यक है अथवा महाविद्यालय के शिक्षक सह-मार्गदर्शक (Co-Guide) हो तभी प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी।
(3) प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य होगा।
(4) विशेष परिस्थितियों में शोध निदेशक की अनुशंसा पर प्राचार्य की अनुमति से समयावधि अधिकतम 05 वर्ष की जा सकेगी।
(5) शोधार्थी की प्रतिदिन उपस्थिति का रिकार्ड शोध निदेशक ही रखेंगे। प्रत्येक छ: माह में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(6) शोध प्रबंध के अग्रेषण के पूर्व शोधार्थी को अपने शोध निदेशक से प्रमाणित, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं संबंधित विभाग का अदेय प्रमाण पत्र (नो-ड्यूज) प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
(7) अध्ययन-अवकाश पर शोध कर रहे शिक्षक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाणपत्र और तीन माह में शोध कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा ऐसे शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।
(8) शोधार्थी महाविद्यालय तथा संबंधित विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अंतर्गत शोध कार्य संपादित कर सकेंगे।

## विदेशी छात्र एवं प्रदेश के बाहरी छात्र

विदेशी छात्रों को, उच्च शिक्षा विभाग एवं सबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया जा सकेगा। विदेशी छात्रों के पास विद्यार्थी बीजा, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित आवास प्रमाण पत्र, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये कि छात्र एड्स बीमारी से ग्रसित नहीं है।

मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त (सत्र 2019-2020) 1. प्रयुक्ति - मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश / नियम / विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हो, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।
1.1 समस्त महाविद्यालयों में गरिमा पूर्ण प्रवेश उत्सव अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित किये जायेंगे जिसमें कि प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदशन व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।
2. प्रवेश प्रक्रिया- प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2019-20 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा। इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल www.epravesh.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।
2.1 कक्षा 12 वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिये पंजीयन कराना अनिवार्ध्य है। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/ गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुये उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुये उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे।

इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी एवं प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी पृथक से दी जावेगी आवेदक अधिकतम 09 (नौ) महाविद्यालय/पाठ्यक्रमों का चयन पजीयन के समय करते हुये च्वाइस फिलिंग कर सकेगा।

पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारिणी अनुसार चरणवार, नियमानुसार देय होगा :-

1. प्रथम चरण में पंजीयन हेतु रू. $100 /-$ (समस्त छात्राओं को निःशुल्क)
2. द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रू. $250 /-$ विलंब शुल्क सहित।
3. सी.एल.सी. चरण में पंजीयन हेतु रू. $500 /$ विलंब शुल्क सहित।

नोट - उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालयीन पत्र क्र. $40 / 17$ /आउशि / आई.टी. / 19, दिनांक 7.3.2019 के तहत निर्धारित, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पोर्टल शुल्क रु. $50 /-$ भी देय होगा।

आवेदक के दस्तावेज का सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित सहायता केन्दों जो कि समस्त शासकीय महाविद्यालय हैं, के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्दिष्टि तिथियों के पश्चात् कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। द्वितीय एवं अंतिम चरण में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जावेगा। विद्यार्थी पंजीयन रसीद के प्राप्त होने पर सभी निर्देशों को पढ़े एवं पालन कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि ( 10 वीं $/ 12$ वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तंक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्ति करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। सत्यापन के पश्चात् किसी भी तरह का परिवर्तन दस्तावेजों के आधार पर ही किया जा सकेगा। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवदेक की ही होगी। आवेदक अपना पंजीयन इन्टरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहों से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिये समस्त शासकीय महाविद्यालयों में
इसके लिये सहायता केन्द्रों (Help Centres) की व्यवस्था की गई है।
आवेदक प्रवेश हेतु अपना पंजीयन उक्त महाविद्यालयों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं फोटो के साथ उपस्थित होकर हेल्प सेंटर के माध्यम से भी करवा सकेगा। हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट आवेदक को दिया जायेगा।

पंजीयन शुल्क का भुगतान : आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से ही किया जा सकेगा। विद्यार्थी पंजीयन पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र / रसीद पर अंकित सभी निर्देशों को पढ़े एवं पालन कर सत्यापन संबंधी आगामी कार्यवाही आवश्यक होने पर सुनिश्चित करें।
2.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन-
2.1.1 स्नातक स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को अपने दस्तावेजों (अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, संवर्ग प्रमाण-पत्र, ओ.बी.सी. के लिये क्रीमी-लेयर में न होने का प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र, एन.एस.एस. / एन.सी.सी., क्रीड़ा। साहित्यिक / सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण-पत्र इत्यादि) जिनके आधार पर प्रवेश के लिये अधिभार देय हो, का सत्यापन करवाना होगा। पंजीयन पश्चात् आवेदकों अथवा उनके अभिभावकों द्वारा अनिवार्यतः संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर करवाना होगा। पंजीकृत आवेदकों को किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केन्द्रों में अपने मूल प्रमाण-पत्रों, जिनका उल्लेख आवेदन में किया हो, की छायाप्रतियों के एक सेट और पंजीयन-पत्र की प्रति सहित उपर्थित होना होगा। निर्दिष्ट सहायता केन्द्रों पर इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर सत्यापन होगा। सहायता केन्द्र के प्रभारी द्वारा सत्यापन पत्र की दो प्रतियों पर आवेदक से हस्ताक्षर प्राप्त कर, एक प्रति आवेदक को प्रदान करेंगे और दूसरी प्रति सहायता केन्द्र में अभिलेख स्वरूप साथ रखेंगे ।
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-एक, दिनांक 25.09 .2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण पत्र स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारिणी अनुसार शासकीय महाविद्यालय में स्थापित सहायता केन्द्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। इस हेतु पंजीयन पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र/रसीद के निर्देश पढ़ें। निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रमानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जावेगा।
2.1.2 स्नातकोत्तर स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को कंडिका 2.1.1 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुये सहायता केन्द से अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापन-पत्र की प्रति प्राप्त करनी होगी। सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय-सारिणी अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केन्द्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा।
2.1.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिनके दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक हो चुका होगा।
2.2 इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के सम्बन्ध में :

दस्तावेजों के सत्यापन के समय इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अंकसूची मान्य होगी, परन्तु प्रवेश के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंकसूची / मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपत्र में वचन-पत्र प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा करवायी जायेगी। इसकी जानकारी यथास्थान ऑनलाइन प्रवेश मॉड्यूल में दर्ज की जावेगी जिससे प्रवेश मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। वचन-पत्र में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

## 2.3 ऑनलाइन गुणानुक्रम अनुसार आंवटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन-

2.3.1 प्रथम चरण में सभी सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाइल पर मैसेज के द्वारा दी जावेगी। साथ ही आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं चेक करे। तत्पश्चात् प्रथम चरण हेतु निधारित तिथि तक आवेदक आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ एवं मूल टी.सी. प्रस्तुत करेंगे। मूल टी.सी. प्राप्त न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर टी.सी. से संबंधित घोषणा पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय आवेदक की पात्रता आदि का सत्यापन करने के पश्चात् ई-प्रवेश पोर्टल पर आवेदक से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने संबंधी जानकारी प्रवेश माड्यूल में निर्धारित तिथि में करेंगे। तत्पश्चात् ही आवेदक को ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु लिंक इनीशियेट होगी। यह लिंक समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक ही एक्टिव रहेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा।
2.3.2 आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन / प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है।

विद्यार्थियो को प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय के प्रोफाइल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे । यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेशित शुल्क की राशि संबंधित मइाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी जब तक कि महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता।
2.3.3 ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवेदक स्वयं अपनी एडमिशन स्लिप का प्रिटआउट पोर्टल से प्राप्त कर सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है।

## 2.4 महाविद्यालयों में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः वरीयताएँ:

प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिये पुनः ऑन लाइन महाविद्यालय / विषय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहें तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे। परन्तु प्रथम / आगामी किसी भी चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दर्शायी हुई प्रथम च्वॉइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, तो द्वितीय/आगामी चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी च्वॉइस / विकल्प पुनः न भर दे। पुनः विकल्प हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
2.5.1 प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार / पाठ्यक्रमवार / वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर सी.एल.सी. ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु अप्रवेशित आवेदक, अपनी पूर्व वरीयताओं में समय सारिणी की निर्धारित तिथियों अनुसार संशोधन / परिवर्तन कर सकेगा। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है वह द्वितीय अथवा सी.एल.सी. चरण में शुल्क अदा कर पंजीयन करा सकेंगे।
2.5.2 सी.एल.सी. चरण (ऑनलाइन) की प्रक्रिया :

ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण की प्रक्रिया के तहत प्रवेश हेतु नवीन पंजीकृत एवं अप्रवेशित आवेदकों को समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में रिक्त स्थानों की उपलब्धता वाले महाविद्यालय हेतु पाठ्यक्रम/विषय समूह/विषय में प्रवेश हेतु, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विकल्प देना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

इस चरण में समय सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश कंडिका 12.1 से 12.8 का पालन करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 12.11 अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगी।

अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में विचार किया जावेगा।
2.5.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रावधिक प्रवेश के लिये अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रवेशित महाविद्यालय में अपने परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण अद्यतन कराना होगा जिससे उनका प्रवेश स्वमेव नियमित / निरस्त हो जायेगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये कंडिका 2.7 (क) के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी, लेकिन विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिये आवेदक को स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण विषयों में से किसी एक में ही प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
2.5.4 कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज करनी होगी।

सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे पंजीकृत आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची में नहीं आया है, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उनके परीक्षा परिणाम संशोधित करने के कारण, प्रवेश हेतु उनकी पात्रता मेरिट सूची अनुसार पायी जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विशेष प्रकरण मानते हुये परीक्षा परिणाम आने के 15 दिवस की समय सीमा में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ.शि. के प्रस्ताव पर, सक्षम स्तर से अनुमति के बाद प्रवेश दिया जायेगा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माड्यूल में दर्ज किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में स्वीकृत सीटों की संख्या बाध्यता नहीं होगी। साथ ही ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन में पात्रता के कारण तकनीकी कठिनाई है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संयुक्त निर्णय लेकर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
2.5.5 सत्र 2019-20 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधसनों में कमी / कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है(क) सत्र 2018-19 स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम / विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में हैं तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2019-20 में प्रवेश दिया

जावेगा अर्थात् 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
(ख) सत्र 2018-19 स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में हैं तभी उक्त विषय में सत्र 2019-20 में प्रवेश दिया जायेगा अर्थात् 9 या 9 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
(ग) सत्र 2019-20 सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।
2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पात्रता - सभी आवेदक एवं सम्बंधित महाविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।
2.6.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश-
(क) $10+2$ परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :

1. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह-विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
2. वाणिज्य / कला / गृह विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
3. वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
4. कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
5. गृह-विज्ञान संकाय में $10+2$ परीक्षा, गृह विज्ञान से उत्तीर्ण आवेदकों के साथ-साथ विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा $10+2$ परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।
6. गृह विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को गृह विज्ञान संकाय के अतिरिक्त कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
$10+2$ का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12 वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। आवेदकों को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तद्नुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
(ख) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. $394 / 73 / 2017$, दिनांक 3.52018 द्वारा $10+2$ कृषि संकाय विद्यार्थी बी.ए. एवं बी.एस.सी. जीव विज्ञान समूह (के सभी एलाइड विषयों जैसे- माइक्रो बॉयलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी) के साथ प्रवेश हेतु पात्र होगे।
(ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. $667 / 175 /$ सीसी / 18/38, दिनांक 10.7 .2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु $10+2$ परीक्षा गणित विषय के साथ किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान, जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी मेरिट अनुसार पात्र होंगे।
(घ) यू.जी. / पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।
(ङ) म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व में हायर सेकेण्ड्री (ग्यारवीं) परीक्षा से उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
2.6.2 अन्य सेमेस्टरों / वार्षिक पद्धति में प्रवेश -
(क) पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेसेट्र में ही प्रवेश दिया जायेगा। शेष सेमेस्टरों / वर्षों में पिछले सेमेसेस्टरों में उत्तीर्ण/ किसी भी एक सेमेस्टर / वर्ष में दो तथा एक-समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms)। पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। नियमानुसार शुल्क का भुगतान करने पर ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य किये जायेंगे।
(ख) कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक / सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration
Certificate) प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के लिये सम्बन्धित विश्वविद्दालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदक को प्रवेश के समय संलग्न करना अनिवार्य है।
(ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक $97 / 380 /$ सीसी / 14/38 दि. 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं वह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त वि.वि. से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स / विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

रिजल्ट घोषित होंने के 07 दिवस के अंदर संबंधित महाविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष / पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा 15 दिवस के अंदर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात् प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं निर्धारित तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
2.7 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश - सभी आवेदक एवं संबंधित महाविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे ।
(क) कक्षा अर्हकारी परीक्षा

1. एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर
2. एम.एससी प्रथम सेमेस्टर बी.एससी. संबंधित विषय के साथ
3. एम.एससी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर बी.एससी. (गृहविज्ञान)
4. एम.ए. / एम.एस.डब्ल्यू रनातक परीक्षा उत्तीर्ण
(ख) स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी को एम.ए. या एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।
(ग) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। पिछले सेमेसेट्रों में उत्तीर्ण अथवा किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.क.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य सेमेस्टरों में नियमानुसार शुल्क भुगतान करने पर स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
5. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश -
(क) म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. $772 / 216 /$ सीसी / 2018 भोपाल दिनांक 7.8 .2018 के तहत 08 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अर्हता अन्य महाविद्यालयों के ही समान होगी।
(ख) म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. $547 / 484 /$ सीसी / 2018 भोपाल दिनांक 6 जून 2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यक्रमों यथा बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. एवं बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अर्हताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य है तथा अनु. जाति / अनु. जनजाति / दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

## 4. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण -

4.1 जिन पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित वि.वि. द्वारा सीट निर्धारण नहीं किया गया है, ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में

बैठक-व्यवस्था / प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर सीट संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी-संख्या का निर्णय आयुक्त / विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक है तो संबंधित प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व वांछित अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकेंगे। साथ ही आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्र. $680 / 484 /$ आउशि / शा-5'अ'/2018 दिनांक 11 अगस्त 2018 एवं क्र. $708 / 484$ /आउशि / शा-5'अ' / 2018 दिनांक 18 अगस्त 2018 के अधीन शासकीय महाविद्यालय नियमानुसार 10 प्रतिशत एवं अधिकतम 25 प्रतिशत शर्तों के अधीन सीट, वृद्धि वर्तमान सत्र में भी कर सकेंगे तथा समस्त सीट वद्धि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा। इस संबध मे समय-समय पर जारी आदेशो का पालन सुनिश्चित किया जावे। अशासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय संबधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या पर प्रवेश नियमों के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
4.2 समस्त महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, विषय समूह, सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार/प्रवेश शुल्क/नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी, महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथियों में आवश्यक रूप से पोर्टल पर दर्ज / आद्यतन कर लॉक करना होगा तथा उन्हें सत्यापित भी करना होगा / करवाना होगा। महाविद्यालय अपने बैंक खाता खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज की गई है। यह जिम्मदेारी पूर्ण रूप से सबधित महाविद्यालय की होगी। साथ ही इसी बैंक खाते का एक क्रास बैंक चेक भी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जावेगी। महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रारम्भ होने के पूर्व संचालित/नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/सीट संख्या, आदि की जानकारी निर्धारित तिथियों में ही अद्यतन कर अनिवार्य है। प्रवेश पोर्टल प्रारंभ होने के उपरान्त, सी.एल.सी. चरण के पूर्व ही महाविद्यालय द्वारा सीट संख्या / डाटा अद्यतन करना संभव होगा।
4.2. मैपिंग महाविद्यालय पात्र निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर जोड़ने हेतु सत्यापन से पूर्व, संबधित महाविद्यालय से निम्न जानकारी उपलब्ध होने पर ही सत्यापन कार्य करेंगे
(अ) शासन द्वारा जारी वर्तमान सत्र के लिये अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र / निरन्तरता प्रमाण पत्र।
(ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिये जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
(स) यदि सत्र 2019-20 में सीटों का निर्धारण नहीं किया गया है तो उस स्थिति में सत्र 2018-19 में निर्धारित ऑनलाइन प्रवेशित संख्या जिसको संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया गया है, को ही सत्र 2019-20 के लिये संकाय / विषयवार सीट संख्या माना जावेगा।
(द) विधि पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त कंडिका 4.2 .1 के साथ-साथ बी.सी.आई. की अनुमति एवं निर्धारित सीट संख्या।
(य) महाविद्यालय का बैंक संबधी विवरण, अपलोड किये क्रॉस बैंक चेक के आधार पर मैपिंग महाविद्यालय द्वारा सत्यापित किया जायेगा। बैंक विवरण सही हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। इसी बैंक खाते में प्रवेश शुल्क भेजा जावेगा।

मैपिंग महाविद्यालय द्वारा उक्त दस्तावेजों की उपलब्धता न होने पर किसी भी स्थिति में ऐसे अशासकीय महाविद्यालय को वर्तमान सत्र की प्रवेश प्रक्रिया के लिये सत्यापित न किया जाये।
4.2.2 पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालयों का पुनःसत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हें निश्चित समय सीमा में पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुर्नसत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की भी होगी। यदि समय सीमा में विश्वविद्यालय द्वारा पुनः सत्यापन नहीं किया जाता है तो इस सिथति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।
4.3 विधि स्नातक स्तर की कक्षा में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया $(\mathrm{BCl})$ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिये UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
4.4 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को वन स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रायमरी / मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिये केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ $44-27 / 2015 / 20-2$, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेगी।

इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों / विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 2 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे। 'वन-स्टेप-अप योजना' के अन्तर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन कराना होगा। आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा साथ ही उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
4.5 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत प्रवेश- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक $866 / 342 /$ सी.सी. / 2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017-18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है, इसका क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों का नियमानुसार शिक्षण शुल्क राज्य शासन वहन करता है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पात्र आवेदकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। मेस शुल्क एवं कॉशन मनी शुल्क देय होगा। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश / पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।
4.6 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत् मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14/2/2008/42-2, दिनांक 21 अगस्त, 2018 के तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय-समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।
5. प्रवेश की पात्रता
5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
(क) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों / भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी। उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।
(ख) सम्बन्धित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों / महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
(ग) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि ।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।
(घ) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये ( 12 B of UGC Act.) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में दो अतिरिक्त सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

## 5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश :

(क) विधि संकाय (एल.एल.बी. / पंचवर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम) में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार ही दिया जायेगा। बी.सी.आई द्वारा निर्धारित सीट संख्या ही मान्य होगी।

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन-प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सम्बन्धित मैपिंग महाविद्यालय से सत्यापन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।
(ख) एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के लिये नियमानुसार प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी। न्यायालयीन निर्णयानुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी पात्र होंगे।
6. समकक्ष परीक्षा :
6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री ऐजूकेशन (सी.बी.एस.ई.) /इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की $10+2$ की परीक्षाएं, मध्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की $10+2$ परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।
6.2 सामान्यतः भारत में सिथत विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसियेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षायें राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
6.3 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा / उपाधि मान्य नहीं होगी।
6.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री, मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री, माइक्रो बॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस डी.टी. पी पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशॉप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम $10+2$ के उत्तीण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/आर्हता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अन्तिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।
6.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।
7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :
7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी / बी.एससी (गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बन्धित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो सम्बन्धित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है ।
7.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों / विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी / गलत जानकारी पाये जाने की दशा में सम्बन्धित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
7.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व प्राचार्यों द्वारा सम्बन्धित राज्यों एवं स्थानीय थानों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
7.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्याार्थियों के लिये 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।
7.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
7.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
7.8 अन्य राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण सम्बन्धित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
7.9 ऐसे अध्ययनरत् विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें अपने छात्रावास कक्ष में किसी अन्य को ठहराना प्रतिबंधित रहेगा।
7.10 अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय से पात्रता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र इत्यादि की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। प्रवेश उपरान्त मूल अंकसूची विद्यार्थी को वापिस करना अनिवार्य है।

## 8. प्रावधिक प्रवेश की पात्रता :

8.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नतकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
8.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम सेमेस्टर / वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा जिसके आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। प्रावधिक प्रवेश के समय आवेदकों को किसी भी सेमेस्टर / वर्ष में एटीकेटी / पूरक नहीं होना चाहिये।
8.1.2 उपरोक्त प्रवेशार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर अपने दायित्व पर एक वचन पत्र के साथ प्रवेश लेंगे जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम परिवर्तन अथवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है / वार्षिक परीक्षा पद्धति में तृतीय वर्ष अनुत्तीर्ण होता है जिसके कारण

प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रावधिक प्रवेश के उपरान्त अंतिम परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा।
8.2 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पूरक नियमों की पात्रता के अनुसार स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
8.2.1 राज्य शासन के आदेश क्रमांक $1615 / 1929 / 2018 / 38-2$, दि. 19.12 .2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षायें उत्तीर्ण कर ली हैं वह सत्र 2019-20 मे वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष मे नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी नियमित / असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2018-19 स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, वे विद्यार्थी सत्र 2019-20 में स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
8.3 स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
8.4 ए.टी.के.टी. / पूरक से सम्बन्धित प्रवेश नियम :
8.4.1. स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी./ पूरक नियम -

1. सेमेस्टर / वर्ष के अंत में सम्बन्धित सेमेस्टर / वर्ष की सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में एटीकेटी / पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
2. दो विषयों के प्रश्न-पत्रों में (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी

को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा। वार्षिक पद्धति में पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी की पात्रता नहीं होगी।
4. स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. $1868 / 198 /$ सीसी $/ 17 / 38$, दिनांक 9.10 .2017 के प्रावधान लागू होंगे।
5. विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित सेमेस्टर / पूरक परीक्षाओं में (सम्बन्धित सम / विषम सेमेस्टर / वर्ष की परीक्षाओं के साथ) ए.टी.के.टी. / पूरक प्राप्त विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

### 8.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी नियम :

1. सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न-पत्रों की परीक्षा होगी।
2. दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर

में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी की पात्रता नहीं होगी।
4.स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. $1868 / 198 /$ सीसी / 17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
8.5 जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर / वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें जुलाई माह से प्रारम्भ होने वाले सत्र में नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
9. प्रवेश हेतु पात्रता / अपात्रता :
9.1 जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर प्रमाणित आरोप हों या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य कदापि अधिकृत नहीं है।
9.2 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रैगिंग के सन्दर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्र. एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी. II) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।
9.3 आयु सम्बन्धी पात्रता - वर्ष 2017-18 के बिन्दु क्रमांक 9.3 क, ख, ग, घ, ङ, च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात् सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।
9.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।
9.5 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में प्रवेश दिया जावेगा।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :
10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जायेगा।
10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।
10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला-स्तर के अध्यापन के कारण सम्बन्धित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11 वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी.एल. सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
10.4 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहां प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथप तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा। सभी महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाइल दर्ज कर

मैपिंग महाविद्यालय से आनलाईन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से आनलाइन पुर्नसत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

## 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में सी.एल.सी. चरण में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा-
12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिये क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।
12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र / पुत्रियों एवं पौत्र / पौत्रियों / नातियों / नातिनीयों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुये सैनिकों के पुत्र / पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों / सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिये तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाये, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जायेगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों / अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना / वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण सम्बन्धित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
12.7 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त / दिवंगत अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिये सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी / ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो सम्बन्धित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।
12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :-

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों / विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बन्धित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा / अजा / अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियो मे दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।
12.9.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है तथा वह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिये आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा-
(अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिये जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिये जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
(स) अल्प संख्यक संस्था / महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र।
(द) रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गर्वनिंग बाडी/प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र।
(य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी / गौर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संस्थावार एकजाई जानकारी।
(र) आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।
12.9.2 मैपिंग महाविद्यालय संबधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाइल का सत्यापन करते समय 12.9.1 में उल्लेखित 6 दस्तावेजों की मूल प्रतियों से मिलान कर सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एव पदमुद्रा सहित पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालय का पुनः सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हें निश्चित समय-सीमा में पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुर्नसत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की भी होगी। यदि समय-सीमा विश्वविद्यालय द्वारा पुनः सत्यापन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।
12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।
12.11 कंडिका 2.5 के अनुसार सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
12.12 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो :

पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुये सम्बन्धित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। सम्बन्धित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।
13. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिये प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन-पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद प्रस्तुत अन्य प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सक्षम होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।
साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ऑलम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। सचालक, खेल और युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क्र. $7678 /$ खेयुक / 2018, दिनांक 14.11 .2018 के तहत खेल प्रतियोगिताओ में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों / अभिप्रमाणन को निम्नानुसार अद्यतन किया गया है।
13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस / स्काउट्स (स्काउट/गाईड्स / रेन्जर्स) :

| (क) | एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट | 2 प्रतिशत |
| :--- | :--- | :--- |
| (ख) | एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 3 प्रतिशत |
| (ग) | एन.सी.सी. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 4 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता | 4 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | 5 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट | 5 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट | 10 प्रतिशत |
| (झ) | मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) | ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट | 15 प्रतिशत |
| (र) | भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्वेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट | 15 प्रतिशत |
| (ल) | एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को | 10 प्रतिशत |
| (व) | भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये | 2 प्रतिशत |

13.2 आनर्स विषय पाठय्कम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर-
13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश लेने पर -
13.4 खेलकूद/साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगितायें -
(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 2 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को -
4 प्रतिशत
(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय / राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित अन्तरक्षेत्रीय प्रतियोगिता एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्यस्तरीय / अन्तर संभाग / अन्तर जिला मे -
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी / टीम के प्रत्येक सदस्य को -
( प्रतिशत
(ख) जिले के दल से संभाग संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को -
5 प्रतिशत
(ख) जिले के दल से संभाग संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 5 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, अखिल भारतीय अतर विश्वविद्यालयीन / एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को - 15 प्रतिशत
(ख) प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को - 10 प्रतिशत
13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को -

10 प्रतिशत
13.6 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं भारतीय ऑलम्पिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता
(क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ी/दल के सदस्यों को 15 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा।
(अधिकृत राष्ट्रीय चेम्पियनशिप से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित किये जाने वाली राष्ट्रीय चेम्पियनशिप से है, जो वर्ष में एक बार आयोंजित की जाती है।)
13.7 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को - 1 प्रतिशत
13.8 विशेष प्रोत्साहन : एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ क्रेडेट्स तथा ओलम्पिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्डकप चैम्पियनशिप, एशियन यैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स एवं साउथ उेशियन चैम्पियनशिप तथा एसोसियेशन ऑॅ इण्डियन यूनिवर्सिटी की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अथवा भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने पर, बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, जिसके वे पात्र हैं।

## 13.9 बशर्ते कि-

(1) खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं के प्रमाण का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाये।
(2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के स्पोर्ट ऑफीसर द्वारा किया जायेगा।
(3) विश्वविद्यालय/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा अयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित विश्वविद्यालय के संचालक, खेल द्वारा किया जाये।
(4) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के स्पोर्ट ऑफीसर द्वारा किया जाये।
(5) एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाये।
(6) यह सुविधसा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अन्तर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात् दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक है।
13.10 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र ही अधिभार के लिये मान्य किये जायेंगे।
13.11 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगितायें जिनमें राज्य सरकार सह-प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 13.4(3) के अनुरूप होगी।

## 14 संकाय/विषय/समूह परिवर्तन :

स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय से परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर ही देय होगा।
15. विशेष :
15.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
15.2.1 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय को नामांकन के लिये फार्म भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।
15.2.2 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना, के लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्राचार्य द्वारा प्रवेश को निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।
15.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कण्डिका 9.1 एवं 9.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
15.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने या उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसके निष्कासन की दशा में विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
15.5 (अ) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी / व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी. सी. के नोटीफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।
रिमार्क :- यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल कॉउसिंल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत माने जायेंगे।
15.5(ब) प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर उसके प्रवेश के नियमित न हो पाने की स्थिति में उसे रूपये $100 /$ - प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि लौटाई जायेगी।
15.6 नियमित प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह की समयावधि में उसी महाविद्यालय में पात्रता अनुसार विषय / पाठ्यक्रम / संकाय/मुख्यमंत्री मेधावी विद्यासर्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में अंतर परिवर्तन (शर्त यदि MMVY एवं MMVJKY पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है) प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्त का पालन सुनिश्चित करते हुये, नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता एवं गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये ही विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तित किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑन-लाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करना होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे । साथ ही इस अवधि में किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नहीं होगा।
15.6.1 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/ अल्पसंख्यक महाविद्यालयो के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। यदि ऐसा संज्ञान में आता है कि किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया है, तो उक्त आवेदन को प्रवेश हेतु मान्य नहीं किया जायेगा।
15.6.2 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाईन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति पर 15 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यताः अकादमिक शाखा, आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय, म.प्र. भोपाल को पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी, प्रमाण एवं प्रवेश पोर्टल से प्राप्त प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सहित लिखित आवेदन हार्ड कॉपी में 15 दिवस की समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में ई-मेल द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। उक्त समय-सीमा की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
15.7 एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑन लाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।
15.8 ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हों पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। 15.9 इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर संशोधन / निरसन / स्पष्टीकरण जारी करने / समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने / प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने / प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने / प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम निर्णय सहित सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होंगे।

अपर सचिव<br>मध्यप्रदेश शासन<br>उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी सत्र 2019 - 2020

| क्र. | कार्य विवरण | स्नातक प्रथम वर्ष |  | स्नातकोत्तर प्रथम सेम. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | प्रथम चरण | दिनांक से | दिनांक तक | दिनांक से | दिनांक तक |
| 1 | (अ) ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना | 10.06.2019 | 16.06.2019 | 15.06.2019 | 30.06.2019 |
|  | (ब) आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शास. महाविद्यालय से कराना | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 15.06.2019 | 01.07.2019 |
| 2 | (अ) सत्यापन करा चुके आवेदकों के लिये प्रथम चरण के सीट आवंटन-पत्र जारी करना | 27.06.2019 |  | 08.07.2019 |  |
|  | (ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट कराना एवं प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना | 28.06.2019 | 01.07.2019 | 09.07.2019 | 11.07.2019 |
|  | (स) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मक्त महाविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना | 10.06.2019 | 01.07.2019 | 15.06.2019 | 11.07.2019 |
| द्वितीय चरण |  |  |  |  |  |
| 3 | (अ) महाविद्यालय में प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों एवं प्रथम चरण के महाविद्यालयवार/पाठयक्रमवार / आरक्षण वर्गवार कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी | 03.07.2019 |  | 13.07.2019 |  |
|  | (ब) अप्रजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पाठ्यक्रम/विषयसमूह का विकल्प देना | 04.07.2019 | 07.07.2019 | 13.07.2019 | 16.07.2019 |
|  | (स) दस्तावेजों का सत्यापन नवीन एवं पूर्व पंजीकृत किन्तु सत्यापन से वंचित आवेदकों हेतु | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 13.07.2019 | 17.07.2019 |
| 4 | प्रथम चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु पुनः महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का ऑन लाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित/ प्रथम चरण में आवंटन प्राप्त किन्तु अप्रवेशित आवेदकों द्वारा) | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 13.07.2019 | 17.07.2019 |
| 5 | (अ) सत्यापन करा चुके आवेदकों / पूर्व पंजीकृत आवेदकों के विकल्प के अनुसार द्वितीय चरण के सीट आवंटन पत्र जारी करना। | 15.07.2019 |  | 23.07.2019 |  |
|  | (ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमाकर ऑनलाइन भुगतान की लिंक इनिशिएट कराना व आवेदक द्वारा पोर्टल से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना। | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 24.07.2019 | 26.07.2019 |
|  | (स) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय /संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोट्टिंग करना | 03.07.2019 | 19.07.2019 | 13.07.2019 | 26.07.2019 |
| सी.एल.सी. चरण (ऑन लाईन) में प्रवेश |  |  |  |  |  |
| 6 | महाविद्यालयों में रिक्त रहे स्थानों की पाठ्यक्रम/विषयवार स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित करना। | 22.07.2019 |  | 29.07.2019 |  |
| 7 | (अ) अपंजीकृत नवीन आवेदकों द्वारा ऑनलाईन पंजीयन, ई-प्रवेश पोर्टल पर कराना एवं ऑनलाइन पंजीयन शुल्क का भुगतान करना। | 22.07.2019 | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 |
|  | (ब) दस्तावेजों का सत्यापन नजदीकी किसी भी शांसकीय महाविद्यालय में उपर्थित होकर कराना नवीन पंजीकत/पूर्व से पंजीकृत किन्तु सत्यापन से वंचित आवेदकों के लिये। | 22.07.2019 | 27.07.2019 | 29.07.2019 | 02.08.2019 |
| 8 | (अ) इस चरण मे प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को समय सीमा में केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रविष्टि कर महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय समह/विषयवार का विकल्प देना अनिवार्य है (विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रस्तुत लिखित आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।) | 22.07.2019 | 27.07.2019 | 29.07.2019 | 02.08.2019 |
| 9 | (अ) महाविद्यालय द्वारा प्रवेश सूची जारी करना। | 31.07.2019 |  | 06.08.2019 |  |
|  | (ब) आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाईन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करना एवं आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शुल्क का समय सीमा में भुगतान करना | 31.07.2019 | 03.08.2019 | 06.08.2019 | 08.08.2019 |
|  | (स) उपरोक्त कंडिका (ब) में उल्लेखित दिनांक तक आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटों को अनारक्षित मानते महाविद्यालय द्वारा शेष आवेदकों की प्रवेश सूची मेरिट अनुसार जारी कर लिंक इनीशिएट कराना एवं आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शुल्क का समय सीमा में भुगतान करना। | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 11.08.2019 | 14.08.2019 |
|  | (द) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मक्त महाविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। (समय सीमा में पोर्टल पर प्रवेश की जानकारी दर्ज न करने पर जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।) | 22.07.2019 | 08.08.2019 | 29.07.2019 | 14.08.2019 |

सत्र 2019-20 अकादमिक कैलेण्डर
(वर्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

| स. क्र. | विवरण | तिथि |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | प्रवेश प्रारम्भ | 10.06.2019 |
| 2 | शिक्षण कार्य प्रारम्भ | 01.07.2019 |
| 3 | प्रवेश उत्सव कार्यक्रम | अगस्त (प्रथम सप्ताह) 2019 |
| 4 | स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश बन्द | 14.08.2019 |
| 5 | संकाय परिवर्तन / विषय परिवर्तन / प्रवेंश समस्या निवारण शिविर | प्रवेश समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह तक |
| छात्रसंघ / सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ |  |  |
| 1 | छात्रसंघ गठन | अगस्त / सिम्बर 2019 |
| 2 | विश्वविद्यालयीन / महाविद्यालयीन / जिला / संभाग / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं | ये सभी गतिविधियां माह अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर ली जाएं |
| 3 | खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधयाँ |  |
| 4 | वार्षिक स्नेह सम्मेलन / वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन | फरवरी द्वितीय सप्ताह 2020 (अधिकतम 04 दिवस) |
| आंतरिक मूल्यांकन/वार्षिक परीक्षाएँ |  |  |
| 1 | पूरक परीक्षा प्रारंभ | 16.09.2019 से 23.09.2019 |
| 2 | पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा | 30.09.2019 |
| 3 | तिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन | सितम्बर अंतिम सप्ताह 2019 |
| 4 | छ:माही आंतरिक मूल्यांकन | दिसम्बर अंतिम सप्ताह 2019 |
| 5 | सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा | 17 फरवरी 2020 |
| 6 | सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि | 12 मार्च से 25 मार्च 2020 |
| 7 | परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश | 26 मार्च से 31 मार्च 2020 |
| 8 | वार्षिक परीक्षा प्रारंभ | 01 अप्रैल से 15 मई 2020 |
| 9 | सभी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि | 15 जून 2020 |
| अवकाश |  |  |
| 1 | दीपावली | 26 से 31 अक्टूबर 2019 तक (5) दिवस |
| 2 | ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु) | 18 मई से 26 जून 2019 तक (40) दिवस |

नोट - स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाये। कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20
(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम / द्वितीय / तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

| (अ) | अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिवधियों का विवरण |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | रविवार | 52 |
| 2 | सामान्य अवकाश | 18 कार्य दिवस |
| 3 | स्थानीय अवकाश | 03 कार्य दिवस |
| 4 | दीपावली अवकाश | 04 कार्य दिवस+01 रविवार $=$ कुल 5 दिवस |
| 5 | छात्रसंघ गठन / महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि | 15 कार्य दिवस |
|  | योग - | 92 |
| (ब) | परीक्षा / ग्रीष्मावकाश के अशैक्षणिक दिवस |  |
| 1 | परीक्षा पूर्व तैयारी | 06 कार्य दिवस |
| 2 | परीक्षा अवधि | 45 कार्य दिवस |
| 3 | ग्रीष्मावकाश एवं अवकाश | 35 कार्य दिवस+05 रविवार $=$ कुल 40 दिवस |
|  | योग - | 86 कार्य दिवस |
| (स) | कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) 92+86=178 | 178 कार्य दिवस |
| (द) | कुल शैक्षणिक दिवस 366-178=188 | 188 शैक्षणिक कार्य दिवस |

नोट - अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की दशा में महाविद्यालय/वि.वि. स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

## छात्रवृत्तियाँ :

महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा देय एवं म.प्र. शासन द्वारा देय एकीकृत छात्रवृत्तियों एवं शिष्य वृत्तियों को नियमानुसार देने की व्यवस्था है। जिसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर सूचना पटल पर लगाई जाती है।

सत्र 2018-19 में प्रवेषित छात्रायें शासन द्वारा संचालित विभिन्न निम्नलिखित छात्रवृत्ति एवं सहायता राशि का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकती है।

क्र. छात्रवृत्ति का प्रकार

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
2. गॉव की बेटी
3. प्रतिभा किरण
4. मेरिट छात्रवृत्ति
5. भवन संनिर्मोण कर्मकार कार्ड धारित (मजदूरी)
6. आवागमन भत्ता सभी वर्गों हेतु
7. निःशक्त जन छात्रवृत्ति
8. इकलौती बेटी (केवल स्नातकोत्तर में प्रवेशित) छात्रायें

लाभान्वित संवर्ग
अनुसूचित जाति (SC)
अनुसीचित जन जाति (ST)
अन्य पिछडा वर्ग (OBC)
सभी वर्गो हेतु
सभी वर्गो हेतु
सभी वर्गो हेतु
सहायता राशि सभी वर्गो हेतु
सभी वर्गो हेतु
सभी वर्गो हेतु

## आधार कार्ड नम्बर अनिवार्य है।

सेन्ट्रल सेक्टर योजना की छात्रवृत्ति :
जिन छात्राओं ने परीक्षा (बारहवीं) कम से कम 80 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है वे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगी। इस योजना में-

1. तीन वर्ष (स्नातक) के लिए 1000 रूपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी।
2. अगले दो वर्ष (स्नातकोत्तर) के लिए 2000 रूपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी।

शासन से अन्य छात्रवृत्तियों संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर सूचना पटल पर चस्पा कर दी जावेगी।
आदिम जाति कल्याण विभाग ग्वालियट
e-Scholarship
demo.mp.nic.in/escholarship Online System for the Automation and Streamlining of Scholarship Distribution Process
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना की आन-लाइन प्रणाली की वेबसाइट का पता demo.mp.nic.in/escholarship है । इस वेबसाइट पर-

1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का आवेदन ऑन-लाइन भरकर जमा किया जा सकता है।
3. स्वयं के एवं अन्य छात्रों के आवेदन पर हुई कार्यवाही तथा उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
4. अन्य संस्थाओं तथा छात्रों द्वारा ली जा रही छात्रवृत्ति की जांच की राशि का विवरण।
5. छात्रवृत्ति के आवेदनों की स्वीकृति के पश्चात जारी की गई राशि का विवरण।
6. अपात्र संस्थाओं तथा छात्रों द्वारा गलत ढंग से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के प्रकरणों की सूचना देकर शासन की सहायता।
7. महाविद्यालय का छात्रवृत्ति आनलाइन पासवर्ड pgcgwa अथवा pgcgwa*123

## योजनाएँ, संटचनात्मक सुविधाएं एवं शैक्ष्रणोत्तर गतिविधियाँ

## 1. विवेकानंद कैरियर एवं रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ-

इस प्रकोष्ठ के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, युवा अद्यमियों के आवश्यक मार्गदर्शन तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।

## 2. बुक बैंक योजना -

महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बुक बैंक योजनान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी निःशुल्क प्रदाय की जाती है।
3. सिटीजन चार्टर एवं सूचना का अधिकार -

शासन के निर्देशानुसार, प्रशासन में पारदर्शिता व्यक्त करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में लगे बड़े-बड़े बोर्डों पर जानकारियॉ अंकित है। विद्यार्थी बोर्ड पर उल्लेखित जानकारियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर, संबंधित सत्य प्रतिलिपियॉ प्राप्त कर सकते हैं।

## 4. महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ -

किसी भी प्रकार से पीड़ित होने पर यह प्रकोष्ठ छात्राओं की समस्याओं का निदान करती है। इसकी जानकारी भी महाविद्यालय में लगे बोर्ड पर अंकित की गई है। महाविद्यालय में इसके लिये एक शिकायत पेटी भी लगी हुई है।
5. संरचनात्मक सुविधायें -
(i) शैक्षणिक एवं प्रयोगशालायें -
(1) समस्त कक्ष अध्यापन सुविधायुक्त।
(2) कक्षों में विद्यार्थी संख्या के अनुरूप फर्नीचर उपलब्ध है।
(3) आधुनिक दृष्य-श्रव्य (Audio-Visual Aids) प्रणाली से सुसज्जित व्याख्यान कक्ष, जिसमें ओवर हेड प्रोजेक्टर (ओ. एच.पी.) स्लाईड प्रोजेक्टर, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, टी.वी., वी.सी.आर., सी.डी. प्लेयर, माईक आदि सुविधाएं हैं।
(4) इंटरनेट सुविधायुक्त, आधुनिक कम्प्यूटर प्रयोगशाला।
(5) कक्षों में पर्याप्त संख्या में अ्यूबलाइट, सीलिंग फेन
(6) सुसज्जित एवं सुविधायुक्त सभागृह

## ;पपद्ध पुस्तकालय एवं वाचनालय -

(1) पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत लायब्रेरी (लायब्रेरी आटोमेशन कार्य प्रगति पर)
(2) पुस्तकालय का समय प्रतिदिन (कार्यशील दिवस) प्रातः 10:30 बजे से सायं 6.30 बजे तक
(3) उपलब्ध अध्ययन सामग्री लगभग 55000 से अधिक पाठ्यपुस्तकें, 6 जर्नल्स, 189 पत्रिकायें, 8

समाचार पत्र तथा 100, संदर्भ एवं दुर्लभ ग्रन्थ एवं प्रतियोगी पत्रिकाएं।
(4) शोध छात्रों हेतु संदर्भ कक्ष स्थापित है।
(5) स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये विभागीय पुस्तकालय।
(6) आरक्षित संवर्ग के विद्यार्थियों के लिये पृथक से बुक बैंक की सुविधा
(7) पिछले पांच वर्षों के प्रश्नपत्र पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।
(8) नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटर तथा इंटरनेट—सुविधा कार्य प्रगति पर है। ई—रिसोर्स की सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।
(9) पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी नियमावली की सूचना का बोर्ड पुस्तकालय में लगा दिया गया है।
;पपपद्ध क्रीड़ा सुविधायें -
(1) टेबिल-टेनिस व जिम हॉल
(2) बास्केटबॉल कोर्ट फ्लड लाइट के साथ
(3) वॉलीबॉल
(4) खो-खो
(5) कबड्डी
(6) हैंडबॉल
(7) क्रिकेट
(8) 200 मीटर ट्रैक
(9) शतरंज
(11) कराटे
(13) फुटबॉल

खेल सुविधाएँ -
उपर्युक्त सभी खेल विधाओं में आवश्यकतानुसार $2-2$ माह के कैम्प आयोजित किये जाते हैं तत्पश्चात महाविद्यालयीन टीम हेतु खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, जो आगे संभाग, विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इन समस्त खिलाड़ियों को महाविद्यालय द्वारा सम्मानित किया जाता है। अन्य खेल विशेष प्रशिक्षण शिविर
(1) कराटे
(2) एरोबिक्स
(3) योग

## शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ -

## 1. एन.सी.सी.

महाविद्यालय में एन.सी.सी. की इकाई संचालित है, जिसके उत्कृष्ट कार्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्रुप कमाण्डर ने एक और टुप बढ़ाने का आदेश दिया है, जिसका कार्य प्रगति पर है ।
2. एन.एस.एस.

राष्ट्रीय सेवा योजना, युवाओं के व्यक्तित्व तथा बहुमंखी विकास हेतु युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की दो इकाईयां महाविद्यालय में कार्यरत हैं।
II महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित विभिन्न खेल विद्याओं के आयोजन, प्रशिक्षण एवं सहभागिता प्रतिवर्ष क्रीड़ा विभाग द्वारा कराई जाती है।

## III पूर्व छात्रा परिषद- (Old Student Association)

महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के अनुभव व ज्ञान का लाभ लेने, महाविद्यालय के विकास हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में पूर्व छात्रा परिषद गठित है।

# विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभाटियों की सूची 

क्र. गतिविधि

1. आई.क्यू.एसी.
2. यू.जी.सी. प्रभारी
3. एन.सी.सी.
4. क्रीड़ा अधिकारी
5. एन.एस.एस. इकाई-1

एन.एस.एस. इकाई-2
6. गांव की बेटी योजना
7. विवेकानंद कैरियर एवं रोजगार मार्गदर्शन

नाम प्रभारी
डॉ. एस.के. श्रीवास्तव
डॉ. के. के. श्रीवास्तव
डॉ. (श्रीमती) ज्योति उपाध्याय
श्रीमती दीपा वर्मा
डॉ. (श्रीमती) अर्पणा शर्मा
डॉ. (श्रीमती) पूनम वासनिक
डॉ. गीतारानी मंगल
डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी अग्रवाल
डॉ. (श्रीमती) रेनू एस नायर

संपर्क विभाग
वाणिज्य विभाग अर्थशास्त्र विभाग

एन.सी.सी. कक्ष खेल विभाग गृह विज्ञान विभाग
भूगोल विभाग
हिन्दी विभाग
हिन्दी विभाग
रसायन विभाग
8. प्रतिभा किरण योजना
9. अनुसूचित जाति / जन जाति / पिछड़ा वर्ग
10. एंटी रेगिंग
11. सी.एम. हेल्पलाईन प्रभारी -

विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार
डॉ. (श्रीमती) भगवती आचार्य अर्थशास्त्र विभाग
डॉ. पी.सी. जाटव
डॉ. (श्रीमती) मंजू कौशिक
गणित विभाग
रसायन विभाग

1. डॉ. एन.एस. निरंजन
2. डॉ. के. के. श्रीवास्तव

## सूचना का अधिकार अधिनियम् 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं 19 (1) के अंतर्गत निम्नानुसार अपीली अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

1. लोक सूचना अधिकारी : डॉ. (श्रीमती) सुशीला माहौर
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी
3. अपीलीय अधिकारी
: डॉ. एस.के. श्रीवास्तव

नोट : उक्त एक्ट की धारा 6 (1) के अनुसार आवेदक को रू. 10.00 आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यदि आवेदक दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहता है तो रू. 50.00 प्रति घण्टा एवं दस्तावेजों की प्रति चाहता है तो उन दस्तावेजों पर आने वाला व्यय देना होगा। आवेदन के निपटारा हेतु 30 दिवस की समय सीमा एक्ट की धारा 7 (1) के अनुसार निर्धारित की गयी है।

सिटीजन चार्टट

| क्रम संख्या | कार्य का विवरण गतिविधि / स्कीम | प्रभारी <br> अधिकारी | कार्य समापन की समय सीमा | कार्यसंपन्न न होने <br> पर अधिकारी जहां <br> शिकायत करनी है | शिकायत निवारण की समय सीमा |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. 2. | सभी प्रकार की धन वापसी <br> महाविद्यालय में <br> प्रवेश के लिये <br> आवेदन पर निर्णय | महाविद्यालय <br> के प्राचार्य <br> महाविद्यालय <br> के प्राचार्य | एक सप्ताह <br> एक सप्ताह | अति.संचालक उच्च शिक्षा,ग्वा. अति.संचालक उच्च शिक्षा,ग्वा. | 15 दिवस <br> 15 दिवस |
| 3.(अ) | छात्रवृत्ति की स्वीकृति | महाविद्यालय <br> के प्राचार्य | $\begin{aligned} & 31 \text { अक्टूबर } \\ & \text { तक } \end{aligned}$ | अति.संचालक उच्च शिक्षा, ग्वा. | 15 दिवस |
| 3.(ब) | छात्रवृत्ति का भुगतान | महाविद्यालय <br> के प्राचार्य | आबंटन तिथि से 15 दिवस | अति.संचालक उच्च शिक्षा,ग्वा. | 07 दिवस |
| 4. | पुस्तकों का निर्गमन | महाविद्यालय <br> के प्राचार्य | 31 अगस्त आंवटन से | अति.संचालक उच्च शिक्षा,ग्वा. | 30 दिवस |

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम का शुल्क :- प्रतिवर्ष एवं अन्य शुल्क

1. बी.एस—सी. (कम्प्यूटर साइन्स) - रू. $5,500 /-$
2. बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) - रू. $5,500 /-$
3. बी.एस—सी. (माइक्रोबॉयोलॉजी) - रू. $6,000 /-$
4. बी.एस—सी. (बायोटैक्नोलॉजी) - रू. $7,500 /-$
5. एम.एस—सी. (बायोटैक्नॉलाजी) - रू. 20,000/-
6. एम.एस—सी (माइक्रोबायलॉजी) - रू. 15,000/-
7. एम.ए. इंग्लिश
8. एम.कॉम
9. एम.एस—सी. (Home.Sc.)
10. बी.लिब.
11. एम.ए. नृत्य
12. एम.ए. वादन
13. एम.ए. ड्रांइग एवं पेन्टिंग

अतिरिक्त शुल्क :- प्रति वर्ष

1. प्रायोगिक शुल्क-बी.ए. में $100 /$ - प्रतिवर्ष, बी.एस-सी. में $100 /$ - प्रति विषय लिया जाता है।
2. प्रायोगिक शुल्क-बी.एस-सी. (गृह विज्ञान) 150 / - प्रति विषय लिया जाता है।
3. प्रायोगिक शुल्क-बी.एस-सी. (बायो.) $100 /-$ प्रति विषय लिया जाता है।
4. प्रायोगिक शुल्क-बी.एस-सी. (गणित) $100 /-$ प्रति विषय लिया जाता है।
5. प्रायोगिक शुल्क-एम.ए. भूगोल तथा मनोविज्ञान में $200 /$ - प्रति विषय लिया जाता है।
6. प्रायोगिक शुल्क-एम.एस-सी. में $400 /-$ प्रति छात्र लिया जाता है।
7. प्रायोगिक शुल्क-एम.एच.एस-सी. में $400 /-$ प्रति छात्र लिया जाता है।

सम्पूर्ण शुल्क में - शुल्क, स्ववित्तीय शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क समाहित कर जमा किया जावेगा।
प्रवेश शुल्क चार्ट सत्र 2019-20

| B.A. / B. Com. Ist Year |  |
| :--- | ---: |
| E. D. | 240 |
| A. F. | 390 |
| O. F. | 560 |
| J. B. | 300 |
| F. C. | 50 |
| C. M. | 60 |
| Aplf \& Pros. | 100 |
| TOTAL | $\mathbf{1 7 0 0}$ |


| B.A. / B. Com. Ilnd Year |  | B.A. / B. Com. lllrd Year |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| E. D. | 240 | E. D. | 240 |
| A. F. | 390 | A. F. | 390 |
| O. F. | 560 | O. F. | 560 |
| J. B. | 300 | J. B. | 300 |
| F. C. | 100 | F. C. | 200 |
| Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 |
| TOTAL | 1690 | TOTAL | 1790 |

नोट - बी.ए. प्रायोगिक रू. 100/- प्रति विषय अतिरिक्त।

| B. Com. Ist Year (Comp. App.) |  | B. Com. Ilnd Year (Comp. App.) |  | B. Com. Illrd Year (Comp. App.) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1600 |  | 1590 |  | 1690 |
| S. F. | 5500 | S. F. | 5500 | S. F. | 5500 |
| Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 |
| TOTAL | 7200 | TOTAL | 7190 | TOTAL | 7290 |
| B. H. Sc. Ist Year |  | B. H. Sc. llnd Year |  | B. H. Sc. Illrd Year |  |
| E. D. | 240 | E. D. | 240 | E. D. | 240 |
| A. F. | 390 | A. F. | 390 | A. F. | 390 |
| O. F. | 560 | O. F. | 560 | O. F. | 560 |
| J. B. | 300 | J. B. | 300 | J. B. | 300 |
| F. C. | 50 | F. C. | 100 | F. C. | 200 |
| C. M. | 60 | Pract. | 150 | Pract. | 150 |
| Pract. | 150 | Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 |
| Aplf \& Pros. | 100 | TOTAL | 1840 | TOTAL | 1940 |
| TOTAL | 1850 |  |  |  |  |


| B. Sc. Ist Year (Maths) |  | B. Sc. Ilnd Year (Maths) |  | B. Sc. Illrd Year (Maths) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| E. D. | 240 | E. D. | 240 | E. D. | 240 |
| A. F. | 390 | A. F. | 390 | A. F. | 390 |
| O. F. | 560 | O. F. | 560 | O. F. | 560 |
| J. B. | 300 | J. B. | 300 | J. B. | 300 |
| F. C. | 50 | F. C. | 100 | F. C. | 200 |
| C. M. | 60 | Pract. | 200 | Pract. | 200 |
| Pract. | 200 | Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 |
| Aplf \& Pros. | 100 | TOTAL | 1890 | TOTAL | 1990 |
| 1900TOTAL Sc. Ist Year (Bio.) |  |  |  |  |  |
|  |  | B. Sc. Ilnd Year (Bio.) |  | B. Sc. Illrd Year (Bio.) |  |
| E. D. | 240 | E. D. | 240 | E. D. | 240 |
| A. F. | 390 | A. F. | 390 | A. F. | 390 |
| O. F. | 560 | O. F. | 560 | O. F. | 560 |
| J. B. | 300 | J. B. | 300 | J. B. | 300 |
| F. C. | 50 | F. C. | 100 | F. C. | 200 |
| C. M. | 60 | Pract. | 300 | Pract. | 300 |
| Pract. | 300 | Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 |
| Aplf \& Pros. | 100 | TOTAL | 1990 | TOTAL | 2090 |
| TOTAL | 2000 |  |  |  |  |
| B. Sc. Ist Year (Comp. Sc.) |  | B. Sc. Ilnd Year (Comp. Sc.) |  | B. Sc. Illrd Year (Comp. Sc.) |  |
|  | 1800 |  | 1790 |  | 1890 |
| S. F. | 5500 | S. F. | 5500 | S. F. | 5500 |
| Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 |
| TOTAL | 7400 | TOTAL | 7390 | TOTAL | 7490 |
| B. Sc. Ist Year (Micro Bio.) |  | B. Sc. Ilnd Year (Micro Bio.) |  | B. Sc. Illrd Year (Micro Bio.) |  |
|  | 1900 |  | 1890 |  | 1990 |
| S. F. | 6000 | S. F. | 6000 | S. F. | 6000 |
| Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 |
| TOTAL | 8000 | TOTAL | 7990 | TOTAL | 8090 |
| B. Sc. Ist Year (Biotech.) |  | B. Sc. Ilnd Year (Biotech) |  | B. Sc. Illrd Year (Biotech) |  |
|  | 1900 |  | 1890 |  | 1990 |
| S. F. | 7500 | S. F. | 7500 | S. F. | 7500 |
| Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 | Aplf \& Pros. | 100 |
| TOTAL | 9500 | TOTAL | 9490 | TOTAL | 9590 |
| M. Com. Ist Sem. |  | M. Com. Illrd Sem. |  | B. Lib. Sc. Ist Year |  |
| E. D. | 240 | E. D. | 240 | E. D. | 240 |
| A. F. | 390 | A. F. | 390 | A. F. | 390 |
| O. F. | 560 | O. F. | 560 | O. F. | 560 |
| J. B. | 300 | J. B. | 300 | J. B. | 300 |
| C. M. | 100 | S. F. | 3200 | C. M. | 100 |
| S. F. | 3200 | Aplf \& Pros. | 100 | S. F. | 5000 |
| Aplf \& Pros. | 100 | TOTAL | 4790 | Aplf \& Pros. | 100 |
| TOTAL | 4890 |  |  | TOTAL | 6690 |



## जनभागीदारी समिति

|  | 1. अध्यक्ष पदेन जिलाधीश ग्वालियर <br> 2. सचिव पदेन प्राचार्य डॉ. श्रीमती सुशीला माहौर <br> 3. अन्य रिक्त |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | गजपत्रित अधिकाटियों की सूच्ची <br> डॉ. (श्रीमती) सुशीला माहौर - प्राचार्य |  |  |
| विभाग | नाम | पद | मोबाइल नं. |
| हिन्दी विभाग | 1. डॉ. (श्रीमती) गीतारानी मंगल | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9399576356 |
|  | 2. डॉ. (श्रीमती) ज्योति उपाध्याय | प्राध्यापक | 8989041891 |
|  | 3. डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी अग्रवाल | प्राध्यापक | 9179975249 |
|  | 4. डॉ. (श्रीमती) बीना गुप्ता | प्राध्यापक | 9425337842 |
|  | 5. प्रो. एम. के. खान | सहायक प्राध्यापक | 9425135149 |
| अर्थशास्त्र विभाग | 1. डॉ. (श्रीमती) भगवती आचार्य | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9713722798 |
|  | 2. डॉ. के. के श्रीवास्तव | प्राध्यापक | 9826264816 |
|  | 3. डॉ. (श्रीमती) रजनी मिश्रा | प्राध्यापक | 9827754415 |
|  | 4. डॉ. राजीव सिंह चौहान | प्राध्यापक | 9827389089 |
|  | 5. रिक्त | सहा. प्राध्यापक |  |
| राजनीतिशास्त्र विभाग | 1. (श्रीमती) शुभा श्रीवास्तव | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9713023701 |
|  | 2. डॉ. (श्रीमती) माया त्रिपाठी | प्राध्यापक | 9425778428 |
|  | 3. डॉ. रतन सिन्हा | प्राध्यापक | 9425773812 |
|  | 4. प्रो. मुकेश कुमार | सहा. प्राध्यापक | 9425461345 |
| मनोविज्ञान विभाग | 1. रिक्त | प्राध्यापक |  |
|  | 2. रिक्त | प्राध्यापक |  |
|  | 3. रिक्त | सहायक प्राध्यापक |  |
| समाजशास्त्र विभाग | 1. डॉ. (श्रीमती) साधना तोमर | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9406505490 |
|  | 2. डॉ. राजेश कुमार सक्सेना | प्राध्यापक | 9826505728 |
|  | 3. प्रो. (श्रीमती) मंजू सिंह वीर | सहायक प्राध्यापक | 9425112083 |
| इतिहास विभाग अंग्रेजी विभाग | 1. डॉ. नीरज गोयल | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9425712818 |
|  | 1. डॉ. एन.एस. निरंजन | सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9425113718 |
|  | 2. प्रो. पवन बरेलिया | सहायक प्राध्यापक | 9425307364 |


| संस्कृत विभाग | 1. डॉ. (श्रीमती) पूनम वार्षेय | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9425757880 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| भूगोल विभाग | 1. डॉ. ब्रिजेन्द्र सिंह | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9893249795 |
|  | 2. डॉ. ए. के. झा | सह-प्राध्यापक | 9425757110 |
|  | 3. प्रो. अमित कुमार | सहायक प्राध्यापक | 9826240292 |
|  | 4. प्रो. पूनम वासनिक | सहायक प्राध्यापक | 9575065549 |
| गृहविज्ञान विभाग | 1. डॉ. (श्रीमती) अपर्णा शर्मा | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9826257633 |
|  | 2. रिक्त | सहायक प्राध्यापक |  |
|  | 3. रिक्त | सहायक प्राध्यापक |  |
| चित्रकला विभाग | 1. रिक्त | सहायक प्राध्यापक |  |
|  | 2. रिक्त | सहायक प्राध्यापक |  |
| कंठ संगीत विभाग | 1. डॉ. भागवन्ती | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9329614662 |
| वाद्य संगीत विभाग | 1. डॉ. संजीव भण्डारी | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9893017534 |
| नृत्य विभाग | 1. डॉ. भगवानदास माणिक | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9425770938 |
| भौतिक विभाग | 1. डॉ. शरद भदौरिया | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 7987572451 |
|  | 2. प्रो. रामकुमार सिंह दण्डोतिया | सहायक प्राध्यापक | 9826283791 |
| रसायन शास्त्र विभाग | 1. डॉ. विमलकान्त श्रीवास्तव | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9425735677 |
|  | 2. डॉ. (श्रीमती) रेनू एस. नायर | प्राध्यापक | 9425772917 |
|  | 3. रिक्त | सहायक प्राध्यापक |  |
| प्राणिशास्त्र विभाग | 1. प्रो. एस.के. अग्रवाल | सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9425727115 |
| वनस्पतिशास्त्र विभाग | 1. डॉ. जी. डी. व्यास | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9425777844 |
|  | 2. रिक्त | सहायक प्राध्यापक |  |
| गणित विभाग | 1. डॉ. पी. सी. जाटव | सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9893063627 |
|  | 2. रिक्त | सहायक प्राध्यापक |  |
| वाणिज्य विभाग | 1. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9425338782 |
|  | 2. डॉ. आर. एन. खण्डेलवाल | प्राध्यापक | 9425119033 |
|  | 3. डॉ. पी. के. सिरोठिया | प्राध्यापक | 9827079699 |
| पुस्तकालय विज्ञान विभाग | 1. डॉ. राकेश श्रीवास्तव | सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | 9893896706 |
| पुस्तकालयाध्यक्ष | 1. श्रीमती आशा देवी तोमर | पुस्तकालयाध्यक्ष | 9179547583 |
| क्रीडा विभाग | 1. श्रीमती दीपा वर्मा | क्रीडा अधिकारी | 9893117314 |

## स्टॉफ सूची ( तृतीय श्रेणी)



